



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231441
CG-DL-E-27112021-231441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 616]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(4).—जबकि रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड (RSEJTPL), जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, अंसल चैम्बर्स-II, भिकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066 है, ने पारेषण योजना “मैसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड (RSEJTPL) (जैसलमेर-III) फतेहगढ़, जैसलमेर, राजस्थान में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए फतेहगढ़-2 पीएस, जैसलमेर, राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2020-PSPA-I Division/164 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा पारेषण योजना “रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत मैसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड (RSEJTPL) (जैसलमेर-III) फतेहगढ़, जैसलमेर, राजस्थान में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए फतेहगढ़-2 पीएस, जैसलमेर, राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड ने 18.06.2021 (इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 03.07.2021 से 09.07.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड ने 05.09.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार

पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत मैसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड (RSEJTPL) (जैसलमेर-III) फतेहगढ़, जैसलमेर, राजस्थान में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए फतेहगढ़-2 पीएस, जैसलमेर, राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम।” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड (जैसलमेर- III)-फतेहगढ़-2 पीएस 220 केवी सिंगल सर्किट लाइन, डबल सर्किट व मल्टी सर्किट टावर पर 300 मेगावाट नोमिनल वोल्टेज पर ले जाने के लिए उपयुक्त।

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

गाँव का नाम	तहसील/तालुका	जिला
महरजोत, कराडा, लाला, भोपा, सांवता, रासला, छोडिया, भिखासर	फतेहगढ़	जैसलमेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vi) रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड श्री) प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./481/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**ORDER**

New Delhi, the 25th October, 2021

F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(4).—Whereas M/s. Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited (RSEJTPL), the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, Delhi-110066, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system of M/s. Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited (RSEJTPL) (Jaisalmer-III) for its 300 MW solar power project in Fatehgarh, Jaisalmer, Rajasthan Connected to Fatehgarh-II PS, Jaisalmer, Rajasthan”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2020-PSPA-I Division/164 dated 16.06.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Connectivity system of M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited (RSEJTPL) (Jaisalmer-III) for its 300 MW solar power project in Fatehgarh, Jaisalmer, Rajasthan Connected to Fatehgarh-II PS, Jaisalmer, Rajasthan”.

M/s RSEJTPL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 18.06.2021 (Indian Express, Dainik Bhaskar & Dainik Navjyoti and in Weekly Gazette of India dated 03.07.2021 to 09.07.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s RSEJTPL has submitted an affidavit dated 05.09.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system of M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited (RSEJTPL) (Jaisalmer-III) for its 300 MW solar power project in Fatehgarh, Jaisalmer, Rajasthan Connected to Fatehgarh-II PS, Jaisalmer, Rajasthan”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited Jaisalmer-III–Fatehgarh-II PS 220kV S/C line on D/C & M/C towers (Suitable for Carrying 300MW at nominal Voltage)

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGE	TEHSIL/TALUKA	DISTRICT
Mehrajot, Karada, Lala, Bhopa, Sanwata, Rasla, Chhodiya, Bhikasar	Fatehgarh	Jaisalmer

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- (vii) M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Three) Private Limited would have to comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to GIB(Great Indian Bustard) in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

V. K. MISHRA, Secy

[ADVT.-III/4/Exty./481/2021-22]